दूरभाष–01373-223433
Email-gwlspurola@gmail.com

गोविन्द वन्यजीव विहार एवं राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड

कार्यालय–उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

पत्रांक 1700 /12–1 पुरोला दिनांक– 23 फरवरी 2023

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **जनपद उत्तरकाशी प्रधानमंत्री ग्राम संडक योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में कोटगांव (नैटवाड) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई–15.00 किमी०) के नव निर्माण हेतु 11.115 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः– **आपके कार्यालय का पत्रांक–1864/FP/UK/ROAD/47302/2020 Date-04 Feb 2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि KML फाइल के अवलोकन पर अवैध मलवा निस्तारण देखा गया है। यह मलवा टौन्स नदी में गिर रहा है तथा वृक्षों को भी नुकसान पहुँच रहा है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अवैध रूप से मलवा निस्तारण करने के कारण वनस्पतियों और वनों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में वन क्षेत्राधिकारी सुपिन द्वारा सम्बधित ठेकेदार के विरूद्व भारतीय वन अधिनियम 1927 की सुसंगत धाराओं में रेंज केस सं०–15/सुपिन/2022–23 दिनांक–05 जून 2022 तथा रेंज केस सं०–16 (1) सुपिन/2022–23 दिनांक–20 जून 2022 जारी किये गये है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र०स०	राजि सं०	केस का विवरण	कृत कार्यवाही
1	15/सुपिन/2022–23	कलाब बीट के कक्ष सं०–1 में रोड़ साईड के नीचे की ओर 50 मी०, 40 मी० व 55 मी० मलवा फेका गया।	₹ 200,000.00 (दो लाख रू० मात्र) का जुर्माना प्राप्त किया गया।
2	16(1)/सुपिन/2022–23	कलाब बीट के कक्ष सं०–2 में रोड़ साईड के नीचे की ओर 20 एवं 60 मी०, तथा कक्ष सं०–3 में 50 मी० व 80 मी० मलवा फेका गया।	₹ 110,000.00 (एक लाख दस हजार रू० मात्र) का जुर्माना प्राप्त किया गया।

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में कुल ₹ 310,000.00 (तीन लाख दस हजार रू० मात्र) का जुर्माना सम्बधित ठेकेदार से वसूल किया गया है। अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, मोरी को भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो बावत् लिखा गया है।

भवदीय

(डी०पी० बलोनी)
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी

207

Mr chauhan/land transaf

पत्रांक 1700 / 12-1 समदिनांकित ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1. निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, मोरी।
3. वन क्षेत्राधिकारी सुपिन रेंज, नैटवाड, गोविन्द वन्यजीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

(डी०पी०बलोनी)
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार एवं रा०पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी

Mr chauhan/land transaf